

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 54/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक: 10.5.2017

अन्तर्गत धारा: 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. महेन्द्र आत्मज मथुरालाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

- 1 रामनारायण
- 2 मथुरालाल
- 3 बाबूलाल पिसरान बिरधा जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 4 रामकन्या पुत्री बिरधा
- 5 प्रेमबाई पुत्री बिरधा
- 6 सुरेन्द्र पुत्र किशोर जाति लश्करी निवासीग्रण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 7 वीरू आत्मज किशोर
- 8 चुन्नु पुत्र किशोर जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 9 ग्राम पंचायत भीमपुरा जरिये सरपंच ग्राम भीमपुरा।

... रेस्पोंडेन्ट



उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट

श्री अतुल वशिष्ठ अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स 1 व 3 लगायत 6

निर्णय

दिनांक 8.02.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्र० सं० 8, 9/2015 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम रामनारायण वगेरा (रिमांड प्रकरण-द्वारा न्याया० उपखण्ड अधिकारी कोटा) मे पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि स्व० बिरधा पुत्र हरलाल के नाम ग्राम भीमपुरा मे दर्ज आराजी ख० नं० 232, 307, 307/1001, 680, 813, 867 कुल किता 6 रकबा 3.93 है० के संदर्भ मे पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 696 बहाल करने, बहाली का नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड मे मृतक खातेदार बिरधा के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम नामान्तरकरण सं० 696 अनुसार दर्ज किये जाने का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 1.5.2017 को पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि उक्त आराजी अपीलाट के दादा बिरधा की स्वअर्जित कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर वह जीवन पर्यन्त काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के बाद उनके द्वारा आलेखित ख०

सं० ६००

नं० 867 रकबा 1.55 है० आराजी पर वसीयत दिनांक 11.1.10 से बिरधा जी मृत्यु दिनांक 23.5.11 से अपीलांट बहैसियत मालिकाना काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो साबित कर देने के बाद भी अपीलांट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक नहीं कर इंतकाल सं० 696 को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० क्रम 1 व 2 ने अपीलांट के दादा व पिता के विरुद्ध दिनांक 5.11.2001 को न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था जिसके जवाब में स्वयं बिरधा द्वारा उक्त आराजी स्वअर्जित होना व रेस्पो० क्रम-1 व 2 का उनके जीवनकाल में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होना वर्णित किया था। उक्त तथ्यों का रेस्पो० द्वारा खण्डन नहीं किया गया। रिकार्ड खतेदार को राज० काशतकारी अधि० के अन्तर्गत वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की प्रमाणिकता को स्वीकार किया है किन्तु रेस्पो० को लाभ पहुंचाने के ध्येय से बिना किसी आधार व उज्र के उक्त आराजी को पैतृक होना मानकर निर्णय पारित करने में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा त्रुटि की है। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 9.12.2010 को खारिज किया गया जिसकी अप्रसन्नता से रेस्पो० द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में जेरकार है उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा करने के ध्येय से रेस्पो० के नाम इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करना सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट द्वारा न्याया० एसडीओ कोटा में प्रस्तुत अपील को दिनांक 26.3.2015 को सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया था जिसकी अपील रेस्पो० 1 व 2 द्वारा न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा में की गई उक्त अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर दिनांक 25.1.2017 को खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने एसडीओ कोटा के रिमांड आदेश की पालना किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आराजी पैतृक है या स्वअर्जित इसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। उक्त तथ्यों के बावत सक्षम न्यायालय में अपील जेरकार है जिसमें निर्णय होना बाकी है अधीनस्थ न्यायालय ने टीनेन्सी एक्ट की धारा 39 व 40 का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश दिनांक 25.1.2017 में निकाले गये निष्कर्ष के विपरीत रेस्पो० के पक्ष में आदेश प्रदान किया है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पक्ष में आलेखित वसीयत पंजीकृत वसीयत है जो किसी भी प्रकार से सन्देहास्पद नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के विपरीत जाकर आदेश प्रदान किया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी अपीलांट के दादा बिरधा की स्वअर्जित है। बिरधा द्वारा उनके जीवनकाल में ख० नं० 867 रकबा 1.55 है० आराजी की वसीयत दिनांक 11.1.10 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड वसीयत है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी के विधिविरुद्ध तस्दीक नामा० सं० 696 की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय एसडीओ कोटा में की गई जिसे स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया। एसडीओ के उक्त आदेश की अपील रेस्पो० ने माननीय न्यायालय एडीसी में पेश की जिसे दिनांक 25.2.17 को खारिज कर किया। इस प्रकार एसडीओ का आदेश बहाल रहा तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुना व वसीयत को सही माना किन्तु भूमि पैतृक होने से वसीयत का अधिकार नहीं होना माना। जबकि राज० काशतकारी अधिनियम के अन्तर्गत खतेदार आसामी को वसीयत करने का अधिकार प्रदत्त है। भूमि पैतृक होने का पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है। उक्त भूमि आवंटित हुई है। वसीयत की भूमि 20 बीघा है। रामनारायण व बाबूलाल ने एसीएम कोटा में बिरधा के खिलाफ भूमि पैतृक मानते हुये दावा किया जिसे

खारिज कर दिया जो आरएए में जेरकार है। सक्षम कोर्ट को विवाद्यक तय करना है जिसे तहसीलदार ने कर दिया जिसका तहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो वाद आरएए में पेन्डिंग था उसे खारिज करवा लिया। दो अपील पेश की थी महेन्द्र के संबंध में कुछ नहीं लिखा फिर भी नामा० खारिज किया। दिनांक 1.5.2017 के आदेश की दि० 9.5.2017 को अपील पेश की, दि० 4 व 5/5/17 को इंतकाल खोल दिया। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा से दिनांक 12.5.17 को स्थगन था दिनांक 9.5.2017 को रजिस्ट्री करवा दी। सरपंच इसी दिन नामान्तरकरण खोल दिया। बहस में आगे बताया कि सेक्शन 52 अपील के समय तक लागू होगी। अन्त में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

- 4 रेस्पो० क्रम-2 दिनांक 5.7.2017 को स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि विवादित आराजी बिरधा का स्वअर्जित है पैतृक नहीं है। वसीयत के आधार पर अपीलांत विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वसीयत के संबंध में रेस्पो० द्वारा की गई फौजदारी कार्यवाही में अनुसंधान अधिकार द्वारा वसीयत सत्य होना मानकर एफआर प्रस्तुत की गई जिससे वसीयत सही एवं सत्य होना प्रमाणित होता है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वसीयत को प्रमाणित होना स्वीकार किया है। सेटलमेंट से पूर्व ख० नं० 68/8/4 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी के बाद सेटलमेंट बाद नवीन ख० नं० 307/1001 रकबा 0.14 है० भूमि बिरधा को नियमन की गई है ऐसी स्थिति में भूमि स्वअर्जित होना प्रमाणित हो जाता है। बिरधा के जीवनकाल में रेस्पो० द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया जो स्वअर्जित आराजी होने से न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व प्राधिकारी कोटा में जेरकार है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांत स्वीकार की जावे।
- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम 1 व 3 लगायत 9 ने बहस में प्रकट किया कि न्यायालय एसीएम कोटा द्वारा दावा दिनांक 9.12.2016 को खारिज कर दिया। पिता के जीवनकाल में भूमि का बटवारा नहीं हुआ। वसीयत पर तहसीलदार ने सुनवाई की है। वसीयत में वर्णित भूमि को तहसीलदार ने पैतृक माना है। अपीलांत वसीयत के आधार पर दावा करें। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिससे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांत के किसी प्रकार हक अधिकार प्रभावित हुये हैं तो नियमित वाद पेश कर उसमें साबित करें। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत विधिक तौर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1355, आरआरटी 2016 (2) पेज 1099 का न्यायिक नजीर पेश कर अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम 1, 3 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2017 (2) पेज 1355, आरआरटी 2016 (2) पेज 1099 का आध्योपांत अवलोकन किया तथा लिखित बहस रेस्पो० क्रम-2 व बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो० क्रम-1, 3 ता 9 पर मनन किया। तहसीलदार द्वारा अपीलांत की वसीयत को नजरअंदाज कर पक्षकार बनाये बिना ही जेरअपील आदेश प्रदान करने से अपीलांत के हक अधिकार प्रभावित होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अपील पेश करने की स्वीकृति चाहने के साथ अपील पेश की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा बिरधा के नाम दर्ज आराजी कुल किता 6 रकबा 3.93 है० पूर्व स्वीकृत नामा० 696 बहाल कर राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार बिरधा के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों के नाम ना० सं० 616 अनुसार दर्ज करने का दिनांक 1.5.2017 को निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांत पक्षकार नहीं रहा है तथा अपीलांत के पक्ष में वसीयत होने से उसके हक अधिकार प्रभावित होने से अपीलांत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलांत द्वारा दिनांक 8.8.2017 को दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेज होने तथा प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते

है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्व० बिरधा पुत्र हरलाल के नाम ग्राम भीमपुरा में दर्ज आराजी ख० नं० 232, 307, 307/1001, 680, 813, 867 कुल किता 6 रकबा 3.93 है० के संदर्भ में पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 696 बहाल कर, बहाली का नोट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार बिरधा के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम नामान्तरकरण सं० 696 अनुसार दर्ज किये जाने का दिनांक 1.5.2017 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि बिरधा द्वारा उनके जीवनकाल में ख० नं० 867 रकबा 1.55 है० आराजी की वसीयत दिनांक 11.1.10 को उसके पक्ष में निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड वसीयत है। वसीयत को सही माना किन्तु भूमि पैतृक होने से वसीयत का अधिकार नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया गया जबकि राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार आसामी को वसीयत करने का अधिकार प्रदत्त है। भूमि पैतृक होने का पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है। विवादित आराजी के संबंध में न्याया० आरएए कोटा में वाद विचाराधीन है। अपीलांट के तर्क के संबंध में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से विवादित आराजी के संबंध में अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट होता है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। प्रकरण में यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार "खातेदार आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में अपने हित को या हिताश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा-पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है"। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार बिरधा द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित आराजी की अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की जाना प्रकट होता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में यह भी उल्लेख किया जाना भी सिमीचिन होगा कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत तहसीलदार को निर्विवाद मामलों में नामा० तस्दीक करने की शक्तियां प्रदान की गई है व राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में "यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा"। तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त विवेचित तथ्य तथा कानूनी प्रावधानों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है।

- 7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्र० सं० 8, 9/2015 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम रामनारायण वगेरा (रिमांड प्रकरण-द्वारा न्याया० उपखण्ड अधिकारी कोटा) में पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 8.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० सभागीय आयुक्त
कोटा